[2018] 1 एस.सी.आर. 609

ग्रेटर मुंबई नगर निगम

बनाम

पंकज अरोरा (सचिव) और अन्य

आपराधिक अपील सं. 164/2018

23 जनवरी, 2018

एन.वी. रमना और एस. अब्दुल नज़ीर, जेजे.,

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 482,378-अपीलकर्ता-निगम द्वारा एमएमसी अधिनियम की धारा 354 सपठित 475 ए (1) (ए) के तहत दायर की गई शिकायत-मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया कि शिकायत समय बाधित होने पर रोक दी गई थी-अपील पर, उच्च न्यायालय ने मामले की योग्यता पर प्रतिकूल टिप्पणियां कीं, हालांकि, अपीलकर्ता को यह कहते हुए उचित कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता देने के साथ अपील को खारिज कर दिया कि उसके अधिकार क्षेत्र को सीआरपीसी की धारा 378(4) के तहत गलत तरीके से लागू किया गया था-अपीलकर्ता द्वारा फाइल रिट याचिका, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उचित कार्यवाही दायर करने के लिए दी गई स्वतंत्रता ने मुकदमे को उसी आदेश को पुनः पुनर्जीवित करने का अधिकार नहीं दिया, जिसे अंतिम रूप दिया गया है अभिनिर्धारित किया कि- उच्च न्यायालय वहां उठाए गए मुद्दों की जांच-उच्च न्यायालय ने पहले के किये बिना अवधि सीमा पर मामले को खारिज करने में सही नहीं था- आदेश में निष्कर्ष निकाला है कि मामला धारा 378 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है, योग्यता पर आगे की टिप्पणियों को करने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं था, जैसा कि इस मामले में किया गया था- इसके अलावा, उच्च न्यायालय के लिए यह सुनिश्चित करने के मुद्दे से परे आवश्यक नहीं था कि क्या देरी के आधार पर शिकायत को खारिज करने के लिए धारा 378 के तहत क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए बरी करने के समान है- सीआरपीसी और एमएमसी अधिनियम के परस्पर क्रिया पर उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और तथ्यों पर इसके निहितार्थ क्षेत्राधिकार के मुद्दे के लिए आवश्यक नहीं थे-एक विशिष्ट न्यायिक मुद्दे के बावजूद, उच्च न्यायालय ने गुणदोष पर मत व्यक्त किया इस तरह के मत को न्यायिकता के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह पहले के आदेश में मुख्य मुद्दे के लिए विशुद्ध रूप से सहायक या गैर-मूलभूत था-इस तरह के अवलोकन को न तो एक निर्णायक प्रभाव कहा जा सकता है और न ही इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है-तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया गया है-मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888-धारा 354.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. सीआरपीसी की धारा 378 (4) के तहत आपराधिक आवेदन में उच्च न्यायालय. यह निष्कर्ष निकालने के बाद भी कि सीआरपीसी की धारा 378 (4) के तहत इसके अधिकार क्षेत्र को गलत तरीके से लागू किया गया था, फिर भी मामले की योग्यता पर प्रतिकूल अवलोकन किया गया, जिससे इसके अधिकार क्षेत्र से अधिक हो गया. यह इंगित करने के लिए संदर्भ से बाहर नहीं होगा कि उच्च न्यायालय के आदेश, आपराधिक आवेदन में आंतरिक विरोधाभासों के साथ विवरण दिया जाता है, इस अर्थ में कि उच्च न्यायालय पहले एक मत व्यक्त करना है कि देरी के कारण संज्ञान लेना काल वाधित है। उच्च न्यायालय ने अंततः न्यायिक मुद्दे पर इस मामले को खारिज कर दिया कि कल्पना के किसी भी खंड द्वारा, देरी दर्ज करने के लिए आपराधिक शिकायत को खारिज करने के रूप में माना जा सकता है ताकि सीआरपीसी की धारा 378 के तहत क्षेत्राधिकार को लागू किया जा सके, और अंततः आयोजित किया गया. इस तरह के मामले का विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था. यह देखा जा सकता है कि इस मोड़ पर उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार किया उक्त प्रावधान के तहत आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के गलत आह्वान को समाप्त कर दिया और यदि सलाह दी जाती है तो उचित अदालत को स्थानांतरित करने के लिए और स्वतंत्रता प्रदान की. उच्च न्यायालय ने पहले के आदेश को गलत माना क्योंकि यह ध्यान देने में विफल रहा कि जिन टिप्पणियों को बिना अधिकार क्षेत्र के बनाया गया था, वे बाध्यकारी नहीं थे. [पैरा 11, 12 और 18] [613-ई-जी; 614-एफ; 616-बी]

2. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियों के लिए 'अंतिमता' के दायरे को बढ़ा दिया (संपार्श्विक पहलुओं से संबंधित) कि अपील में उलट होने तक हर ऐसा अवलोकन अंतिम था, जिसका प्रभाव न्याय का गला घोंटना था। एक बार जब अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि सीआरपीसी की धारा 378 के तहत मामला संधार्य नहीं है, तो उसके पास गुणदोष पर आगे विचार करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जैसा कि इस मामले में किया गया है।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय के लिए यह सुनिश्चित करने के मुद्दे से परे विचार करने के लिए आवश्यक नहीं था कि क्या सीआरपीसी की धारा 378 के तहत क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए देरी के आधार पर शिकायत को खारिज करने के लिए बरी करने के समान है। सीआरपीसी और एमएमसी अधिनियम की परस्पर क्रिया पर उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और तथ्यों पर इसके निहितार्थ न्यायिक मुद्दे के लिए मूलभूत या आवश्यक नहीं थे. एक विशिष्ट क्षेत्राधिकार के बिन्दु के बावजूद अदालत ने गुणदोष पर एक निष्कर्ष दिया और इस तरह की खोज को न्यायिकता के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह पहले के आदेश में मुख्य मुद्दे के लिए विशुद्ध रूप से सहायक या गैर-मूलभूत था। इसलिए, इस तरह के अवलोकन को न तो एक निर्णायक प्रभाव कहा जा सकता है और न ही इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। यह स्पष्ट करने के लिए संदर्भ से बाहर नहीं होगा कि एकमात्र पहलू जो पहले आदेश के संबंध में अंतिमता प्राप्त करता है, आह्वान के संबंध में क्षेत्राधिकार के मुद्दे से संबंधित है सीआरपीसी की धारा 378 और उससे आगे कुछ नहीं। उच्च न्यायालय ने उठाए गए मुद्दों की पूर्ण जांच किए बिना मामले को दहलीज पर खारिज करने में सही नहीं था. तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित

आदेश को अलग रखा गया है और आपराधिक रिट याचिका सं. उच्च न्यायालय की फाइल को पुनर्र्स्थापित किया गया। [पारस 19 से 22] [616-एफ, जीएच; 617-ए-डी]

फेरर वी. वाई. अर्देब (1598) 77 इंग्लैंड. प्रतिनिधि 263-संदर्भित

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील सं. 164/2018

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल रिट पिटीशन नं. 3166/2012 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 16.09.2015 से-

ध्रुव मेहता, सीनियर एडवोकेट, आशीष वाड, सुश्री जयश्री वाड, सुश्री परोमिता मजूमदार, सुश्री सुकृति जग्गी (मैसर्स के लिए). जेएस वाड एंड कंपनी), सलाहकार. अपीलार्थी के लिए.

सुश्री सुरभि संचिता (निशांत रामकांतराव कटनेश्वरकर के लिए), सलाहकार. उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति **एन.वी. रमना, जे.** द्वारा दिया गया-

1. देरी माफ़ की गयी।

2. अनुमति स्वीकृत की गयी।

3. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील 16 सितंबर, 2015 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायालय द्वारा आपराधिक रिट याचिका संख्या 3166/2012 में पारित किया गया है।

4. संक्षेप में कहा गया है कि मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता-निगम ने उत्तरदाता की सोसाइटी में रहने वाली एक श्रीमती वीना खानचंदानी द्वारा दायर शिकायत के अनुसरण में, 31.01.2011 को अपने कनिष्ठ अभियंता के माध्यम से एक निरीक्षण किया और देखा कि निवासियों को खतरे में डालते हुए इमारत में विभिन्न दरारें विकसित हुई थीं. मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 (इसके बाद "एमएमसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 354 के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 02.02.2011 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उत्तरदाताओं को संरचनात्मक मरम्मत करने के लिए कहा गया था. एक पंजीकृत संरचनात्मक अभियंता 08.03.2011 की देखरेख में एक महीने के भीतर भवन का समय, अपीलकर्ता-निगम ने फिर से एक निरीक्षण किया और पाया गया कि उत्तरदाताओं ने उपर्युक्त नोटिस का पालन नहीं किया. इसके बाद अपीलकर्ता ने एमएमसी अधिनियम की धारा 475 ए (1) (ए) के साथ धारा 354 के प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वीडियोग्राफी आदेश दिनांक 09.09.2011, ने शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

“अलग-अलग अभियुक्त के खिलाफ एक ही इमारत के बारे में परिवाद दर्ज की जाती है

इसे दाखिल करने में लगभग 2 महीने की देरी है

हलफनामे के साथ देरी के लिए कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं है। केवल कहा गया है कि मानसून के काम और अन्य कार्यों के कारण देरी हुई थी। इसलिए, यह शिकायत स्वीकार योग्य नहीं है। मैं इस आवेदन को अस्वीकार करता हूं; और इस परिवाद को खारिज करता हूँ। सभी आरोपी नंबर 1 से 3 अन्मोचित किए जाते है।

एमएमसी अधिनियम की धारा 475 (ए) (1) (ए) के साथ धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध के लिए परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

कार्यवाही समाप्त की जाती है।“

5. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पूर्वोक्त आदेश से दुखी होकर अपीलकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के तहत उच्च न्यायालय के आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का आह्वान किया [इसके बाद 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित] एक आपराधिक आवेदन संख्या 1330/2011 दायर किया गया। यह इंगित किया गया था कि यदि मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है, तो इमारत ढह जाएगी, और अपराध की शिकायत एक निरंतर अपराध की प्रकृति की थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.12.2011 के आदेश से, आवेदन को रद्द कर दिया लेकिन आवेदकों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन सहित उचित कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता दी।

6. तदनुसार, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आपराधिक रिट याचिका दायर की. 16.09.2015 के आक्षेपित आदेश से, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

7. उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए विचारों से व्यथित महसूस करते हुए, वर्तमान अपील नगर निगम द्वारा दायर की गई है।

8. अपीलकर्ता के लिए वकील के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 4-राज्य के वकील को सुना। नोटिस की सेवा के बावजूद, निजी उत्तरदाताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

9. अपीलकर्ता-निगम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता ने कहा कि रिट याचिका को पूर्व के आदेश दिनांक 05.12.2011 को आपराधिक आवेदन संख्या 1330/2011 अन्तर्गत धारा 378 (4) सीआरपीसी में दी गई स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए दायर किया गया था। इसके अलावा उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि रिट क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय ने 'स्वतंत्रता को दर्ज करने' शब्दों को एक मात्र वाक्यांशविज्ञान के लिए गलत माना है जो न्यायालय में अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है या चुनौती के तहत आदेश की वैधता, जिससे गलत तरीके से अपीलकर्ता के रिट याचिका को खारिज कर दिया गया, एक बार पूर्ववर्ती खंडपीठ द्वारा रिट याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उच्च न्यायालय को गुणदोष के आधार पर इससे निपटना चाहिए था और उसी अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए खारिज नहीं करना चाहिए था।

10. अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुनने और हमारे सामने संबंधित सामग्री के माध्यम से जाने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने लगाए गए आदेश के माध्यम से मामले की खूबियों की जांच किए बिना आपराधिक रिट याचिका को खारिज कर दिया है.

11. उच्च न्यायालय, आपराधिक आवेदन सं. 1330/2011 में यह निष्कर्ष निकालने के बाद भी कि सीआरपीसी की धारा 378 (4) के तहत इसके अधिकार क्षेत्र को गलत तरीके से लागू किया गया था, फिर भी मामले की योग्यता पर प्रतिकूल अवलोकन किए गए [जोर दिया गया.] जिससे इसके अधिकार क्षेत्र से अधिक हो. यह इंगित करने के लिए संदर्भ से बाहर नहीं होगा कि उच्च न्यायालय का आदेश, आपराधिक आवेदन संख्या 1330/2011 में आंतरिक विरोधाभासों के साथ, इस अर्थ में कि उच्च न्यायालय पहले गुणदोष पर देरी के कारण संज्ञान लेने का निम्नलिखित तरीक़े से बाधित पाता है-

“7, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 468 के तहत, अवधि सीमा के पश्चात अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान लेने पर वधित होता है। उक्त खंड में उल्लिखित सीमा की अवधि धारा 473 के अधीन न्यायालय को विलंब माफ़ करने के लिए विवेक देता है, जबकि मजिस्ट्रेट के अदालत में परिवाद एमएमसी अधिनियम की धारा 514 के अधीन दाखिल करने के लिए सीमा प्रदान की जाती है। यह स्पष्ट रूप से धारा 514 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 1 एससीसीआर।

कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए सजा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा अधिनियम के तहत यदि शिकायत अवधि सीमा के भीतर दर्ज नहीं की जाती है। धारा 514 के ऐसे प्रावधानों का मजिस्ट्रेट द्वारा या अन्यथा संज्ञान लेने से कोई लेना-देना नहीं है. यदि धारा 514 द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की जाती है, तो मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है. संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियां सीआरपीसी के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं. जैसे, सीआरपीसी की धारा 468 और 473 के प्रावधानों का एमएमसी अधिनियम की धारा 514 के प्रावधानों से कोई लेना-देना नहीं है। यदि धारा 514 द्वारा निर्धारित समय के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत नहीं की जाती है, उसी को शिकायतकर्ता को वापस करना आवश्यक है. इसलिए, यह इस प्रकार है कि ऐसे मामले में, मजिस्ट्रेट के पास डिस्चार्ज या बरी करने का आदेश पारित करने का कोई अवसर नहीं होगा. जैसे, मेरे विचार में विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को उन्मोचित करना उसके दोषमुक्ति के समान नहीं है। करने की राशि नहीं है। वास्तव में, यह शिकायतकर्ता को शिकायत वापस करने के लिए राशि है। जैसे कोई अपील ऐसे आदेश के खिलाफ झूठ नहीं बोल सकती।”

8. इसलिए, आवेदन को इस स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया है कि वह धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन सहित उपयुक्त कार्यवाही दायर करे, अगर उन्हें ऐसा करने की सलाह दी जाती है।”

(जोर दिया गया)

12. पूर्वोक्त आदेश से हम यह नोट कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने अंततः न्यायिक मुद्दे पर मामले को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि कल्पना के किसी भी खंड द्वारा, देरी दर्ज करने के लिए आपराधिक शिकायत की बर्खास्तगी को बरी के रूप में माना जा सकता है ताकि सीआरपीसी की धारा 378 के तहत क्षेत्राधिकार को लागू किया जा सके., और अंततः यह माना जाता है कि इस तरह के मामले का विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं था, यह देखा जा सकता है कि इस समय उच्च न्यायालय ने अपराधी के गलत आह्वान को मान्यता दी पूर्वोक्त प्रावधान के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और यदि सलाह दी जाती है तो उचित न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए और अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है.

13. जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आपराधिक रिट याचिका में दूसरी बार पहले दी गई स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए. उच्च न्यायालय ने आदेश को खारिज कर दिया और, अन्य बातों के साथ, के रूप में मनाया -

“12. यह सच है कि माननीय न्यायमूर्ति तहलियानी ने स्वतंत्रता प्रदान की थी, रिट याचिका दायर करने के लिए. हालांकि, "फाइल करने की स्वतंत्रता" एक वाक्यांश है। किसी भी क़ानून या किसी विशिष्ट मिसाल के वैध अनुमोदन के बिना।

यह याचिकाकर्ता को संभावना की जांच करने के लिए दी गई स्वतंत्रता है, एक वैकल्पिक उपाय द्वारा राहत की मांग करना. उक्त स्वतंत्रता एक ही मुद्दे/आदेश को जो अंतिम हो चुका है, उसे नये सिरे से एक मुकदमेबाजी का अधिकार नहीं देता है। स्वतंत्रता याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान कर सकती है, लेकिन यह चुनौती के तहत आदेश की शुद्धता या वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय पर अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है। इस स्वतंत्रता पर निर्णय की समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए, यह न्यायालय की राय है कि केवल इसलिए कि स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि बाद की कार्यवाही न्यायिक दृष्टि से संधार्य है या कि यह उत्तराधिकारी न्यायालय को बाद की याचिका को बनाए रखने के लिए कहता है या न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता प्रदान करने के आदेश को अलग करते हुए एक आदेश पारित करता है. उत्तराधिकारी न्यायालय कार्यवाही को बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं है।

(जोर दिया गया)

14. उच्च न्यायालय द्वारा दो आदेशों का पालन करने के बाद, हमें केवल यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या उच्च न्यायालय पहले के आदेश में निष्कर्षों को बाध्यकारी मानते हुए रिट याचिका को खारिज करने में सही था।

15. शुरुआत में हमें यह देखना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि पहले के फैसले को अंतिम रूप मिल गया है. यद्यपि पहले के आदेश को अंतिम रूप कैसे और क्यों दिया गया था, इस बारे में बहुत अधिक मार्गदर्शन नहीं दिया गया है, हम केवल दूसरा अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह के निष्कर्ष पर आते समय उच्च न्यायालय के पास रेस ज्यूडिकेटा का व्यापक सिद्धांत था।

16. कोई विवाद नहीं है कि फेरर बनाम आर्डेन, (1598) 77 इंग्लैंड से, न्यायपालिका के सामान्य कानून का नियम. 263, इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों को वर्तमान मामलों में सार्वजनिक नीति से निकलने वाले कानून के सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार किया गया है, अत्यधिक और अनावश्यक मुकदमेबाजी को सीमित करना। यह बताने के लिए एक अतिश्योक्ति नहीं हो सकती है कि रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना कि कानून. किसी देश में रेस ज्यूडिकेटा के आवेदन की सीमा, विदेशी न्यायशास्त्र के तुलनात्मक विश्लेषण पर, वी पर निर्भर करती है। दक्षता, निष्पक्षता और ठोस नीतियों जैसे शानदार विचार, लेकिन बोर्ड भर में एक न्यूनतम कोर अच्छी तरह से संरक्षित प्रतीत होता है।

17. हम ध्यान दे सकते हैं कि 'इश्यू एस्टोपेल या संपार्श्विक एस्टोपेल, जो कि रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत का एक हिस्सा है, को अक्सर उत्तेजित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप “इंटरस्टेट रीपब्लिका अट सिट फ़िनिस लिटियम” होता है।

भारतीय, अंग्रेजी और अमेरिकी न्यायशास्त्र में निर्णयों की विविधता और अकादमिक साहित्य के बड़े स्वैच्छिक रिकॉर्ड बनाए हैं. इस पहलू पर पूरे कानून को बहाल करना यहां फायदेमंद नहीं हो सकता है, बल्कि हम खुद को उस संकीर्ण दायरे में प्रतिबंधित करते हैं जिसमें यह मामला आता है।

18. हमारी राय में उच्च न्यायालय ने पहले के आदेश को गलत माना क्योंकि यह ध्यान देने में विफल रहा कि वहां किए गए अवलोकन बाध्यकारी नहीं थे क्योंकि वे अधिकार क्षेत्र के बिना किए गए थे. कॉर्पस ज्यूरिस सिकंडम को उद्धृत करना उपयोगी है, जो निम्नलिखित शब्दों में रेस न्यायिका के आवेदन में उच्च न्यायालय द्वारा सामना की गई कठिनाई को पहचानता है -

'यह कभी-कभी निर्धारित करना मुश्किल होता है जब कोई विशेष मुद्दा विबंधन के नियम से आच्छादित होता है।

मुल्ला ने रेस ज्यूडिकेटा के इस तरह के गलत आवेदन के खिलाफ निम्नलिखित तरीक़े से सावधानी से आगाह किया है-

“यह नहीं माना जाना चाहिए कि विवाद के संबंध में विरचित कौन से वाद बिंदु प्रताक्षतः या सारतः विवादित रहे हैं।

न ही इस तथ्य से जुड़ा होने का कोई विशेष महत्व है कि मुद्दों की सूची में एक विशेष मुद्दा पहला है। कौन से मामले सीधे जारी हैं और कौन से संपार्श्विक या संयोग से, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए। लागू किया जाने वाला सामग्री परीक्षण यह है कि क्या अदालत इस पर विचार करती है मुद्दे की सामग्री का स्थगन और इसके निर्णय के लिए आवश्यक।

19. यह आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियों के लिए 'अंतिमता' के दायरे को बढ़ा दिया (संपार्श्विक पहलुओं से संबंधित) कि अपील में उलट होने

तक हर ऐसा सम्प्रेक्षण अंतिम था, जिसका गला घोंटने का प्रभाव था जीवन से बाहर का न्याय. हम उच्च न्यायालय के ऐसे तर्क को मंजूरी नहीं दे सकते हैं कि इस मुद्दे को अंतिम रूप मिल गया था, क्योंकि सम्प्रेक्षण एक अदालत द्वारा किए गए थे जो अपने स्वयं के निष्कर्षों के खिलाफ गए थे कि जबकि अदालत को ऐसा करने का कोई अधिकार/अधिकार क्षेत्र नहीं था. एक बार जब अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि सीआरपीसी की धारा 378 के तहत एक मामला सन्धार्य नहीं है, तो उसके पास गुणदोष पर आगे की टिप्पणियों को बनाने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जैसा कि इस मामले में किया गया है।

20. इसके अलावा, उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह विलम्ब से प्रस्तुत किए गए परिवाद के निरस्त होने पर दोषमुक्ति के आदेश को सीआरपीसी की धारा 378 के तहत क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं। सीआरपीसी और एमएमसी अधिनियम की परस्पर क्रिया पर उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और तथ्यों पर इसके निहितार्थ न्यायिक मुद्दे के लिए मूलभूत या आवश्यक नहीं थे। एक विशिष्ट क्षेत्राधिकार के मुद्दे के बावजूद, अदालत ने योग्यता पर एक निष्कर्ष दिया और ऐसे निष्कर्ष को रेस ज्यूडिकेटा के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह पूर्व के आदेश से मुख्य मुद्दे के लिए विशुद्ध रूप से सहायक या गैर-मूलभूत था।

21. इसलिए, इस तरह के अवलोकन को न तो एक निर्णायक प्रभाव कहा जा सकता है और न ही इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। यह स्पष्ट करने के लिए संदर्भ से बाहर नहीं होगा कि एकमात्र पहलू जो पहले आदेश के संबंध में अंतिमता प्राप्त करता है, सीआरपीसी की धारा 378 के आह्वान से संबंधित न्यायिक मुद्दे से संबंधित है और इससे परे कुछ भी नहीं है।

22. पूर्वोक्त चर्चा के आलोक में, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में उठाए गए मुद्दों की पूर्ण जांच किए बिना मामले को दहलीज पर खारिज करने में सही नहीं था। तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए लागू आदेश को अपास्त किया जाता है और आपराधिक रिट याचिका संख्या 3166/2012 उच्च न्यायालय को पुनर्स्थापित किया जाता है। इसके अलावा हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करे और अपनी योग्यता के आधार पर उसी का त्वरित रूप से निस्तारण करे।

23. मामले से अलग होने से पहले, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। तदनुसार, अपील का निपटारा किया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

देविका गुजराल

Jai Shankar Mishra